रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092020-221907
CG-DL-E-23092020-221907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2889] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942
No. 2889] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

का.आ. 3237(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4442 (अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 दिसम्बर, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में स्थित है, जो विभिन्न प्रजातियों युक्त चाय बागानों और ग्रामों से सटे वन और नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। अभयारण्य का क्षेत्रफल 161.17 वर्ग किलोमीटर है जिसमें गौर (*बोस गोरस*) की प्रजातियों का वास है और यह तीस्ता और मेची नदी के बीच उत्तर बंगाल में जंगली हाथियों की संख्या को बनाए रखने के लिए एक गलियारे के रूप में भी कार्य करता है;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की एक विशेषता यह भी है कि यह हाथियों के आवागमन का रास्ता है और मॉनसून और शीत ऋतु के दौरान अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के प्रवासी हाथी आश्रय लेते हैं और यहां रॉयल बंगाल बाघ

भी देखे गए हैं। यह क्षेत्र गौर, चीतल (चित्तीदार हिरण), मुंजक, सूअर, साल, सांभर, रीसस बंदर, हिमालयन काला भालू, लेस्सर बिल्ली की कई प्रजातियां जैसे फिशिंग कैट और जंगली बिल्ली, हिमालयन काला भालू, तेंदुआ सहित क्लाउडेड तेंदुआ और कई अन्य छोटे पशु जैसे दुर्लभ माउंटेन गोट (सेराव), आदि के लिए भी प्रसिद्ध है;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की महत्त्वपूर्ण वनस्पति *अकेशिया औरिकुलिफोरमिस* (आकाशमोनी), *एल्बिजिया फल्कटारिया* (सिरीश), *एक्रोकार्पस फ्रैक्सिनिफ़ोलियस* (मैंडेन), *एडिना कॉर्डिफ़ोलिया* (हल्दू), *एलियान्थस एक्सेलसा* (महानीम), *एज़ादिराक्टा इंडिका* (नीम), *एन्थोसेफालस कैडम्बा* (कदम), *आरटोकार्पस चपलाशा* (चपलाशा/बन कथाल), *अमुरा रिहिटुका* (लहासुने), *बिस्चोफ़िया जवनिका* (किंजल/यूरियम), *बोम्बाक्स सीइबा* (सिमुल), *बेतुला सिलिंड्रोस्टाच्या* (बिर्च/औल सउर), *कैरीया आर्बोरिया* (कुम्भी), *डेलबर्गिया लैटिफोलिया* (सेटिसाल/सतसायेर), *एरीथ्रिना अर्बोरसेन्स* (फालेडो), *एलाओकार्पस स्फेरिकस* (रुद्राक्ष), *सेसबानिया ग्रैंडफ्लोरा* (बाक फूल), *शोरिया रोबुस्टा*(साल, सखुआ), *स्वीटेनिया फेबरिफुगा*(क्लोरोटी), *टेट्राडियम फ्राक्सिनिफोलियम* (खानाकपा), *तोना सिलियाटा* (तुनी/तुन), *तालौमे होदगसोमी* (भालु काठ), *उलमस लैंसिफोलिया* (पिपली-औल), *वबेरनन एरुबेसेन्स* (आश्रय), *वलसुरा तबूलाटा* (फलामे), *ज़िलिया डोलब्रिफोर्मिस* (लोहाकाट), *ज़िज़िफ़स मौरिटिआना* (कुल), आदि हैं;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की प्रमुख जीवजंतु हैं जिसमें स्तनधारियों जैसे सिक्किम लार्ज-क्लावड श्रेव (*सोरिकुलस माइग्रेसेंस माइग्रेसेन्स ग्रे*), हॉजसन ब्राउन-टूथेड श्रेव (*सिरुसीकस कॉडैटियस कॉडैटस हॉर्सफ़ील्ड*), इंडियन लॉग-टेल्ड श्रेव (*सोरिकुलस लीसॉप्स हॉर्सफ़ील्ड*), हिमालयन वाटर श्रेव (*चिम्मारोगले प्लेटिसेफाला हिमालयिकल ग्रे*),फुलोवर फ्रूट बैट (*रोसेटस लेचेन्सुलटी*),डेमर्स फ्लाइंग फॉक्स (*टेरोपस जिगैंटियस*), डॉबसन ट्यूब नोज्ड बैट (*मुरीना साइक्लोटिस*, डॉबसन), हिमालयन हेयर-विंग्ड बैट (*हैरिओफालस हरपिया लासयुरोस*, हॉडगसन), असमिया मैकाक्रे (*मैयाये असामेंसिस पेलोप्स*, हॉडगसन), रहेसुस मंकी (*मैकाया मुलाटा),*छोटे भारतीय गंधबिलाव *(विवरिकुला इंडिका),* टोड्डी बिल्ली *(परडोससुरस हेमैंफ्रोडाइट्स),* मुंजक *(मुंटिकस मुंतजैक,* बोड्डर्ट*),* बाघ *(पैंथेरा टाइग्रिस),* तेंदुआ *(पेंथेरा पार्डस),* गौर *(रिबोस फ्रंटेरस गोरस),* हिमालयन काला भालू (*सेलेनारक्टोस थिबेटानस*), सामान्य ऊदबिलाव *(लुतरा, लुतरा),* हाथी (*एलिफस इंडिकस*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*, एर्लेबेन), सांभर (*रुसा यूनिकोलर*), शेरोव (*कॉप्रिकोर्नेस सुमात्रेंसिस*, हॉजसन), सूअर (*सुस स्क्रोफा*, लिन्नियस), साल (*मेनीस पेंटाक्टेक्टाइला*, लिनिअस), भारतीय या ब्लैक लेप्ड खरगोश (*लेपस नाइग्रीकोलिस रुफ़िकाडैटस*, जियोफ़रॉय), लेसर गोअंट फ़्लाइंग गिलहरी (*पेटौरिस्टा एलिगेंस,* ग्रे), आदि सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य से पक्षी प्रजातियां ब्लैक-अरेस्टेड बाजा (*अविदेदा लेउफोटेस सीयामा*), वेस्टर्न कोआशवेक (*एक्सीपीटर बैजियस स्केडोवाल*), बेस्टा स्पैरो हॉवक (*एक्सीपीटर विरगाटस एफिनिस*), हिमालयन हावक-ईगल (*स्पिसेटस निपालेंसिस निपलेंसिस*), ब्लॉक या किंग वलचर (*टोरगोस कैलवस*), हिमालयन फैलकोनेट (*निक्रोहिएराएक्स कैरुलेसेंस*), हिमालयन केस्टरेल (*फाल्को टिनिनकुलस इंटरस्टिक्टेनस*), ब्लॉसम-हेडेड पैराकेट (*पसिट्राकुला साइनोसेफाला बैंगालेंसिस*), हॉडगसन हावक-कुको (*कुकुलस फैगेक्स निसिकोलोर*), हिमालयन कूक्को (*कुकुलस सैटुरेटस सैटुरेटेस*), टावनी फिश उल्लू (*बुबो फ्लैवाइप*), कोलार्ड पिगमी ओवलेट (*ग्लौसिडियम ब्रोडिई ब्रोडिई*), हिमालयन बर्रेड ओवलेट (*ग्लासिडियम क्युकोलाइड्स*), हिमालयन ब्राउन वुड उल्लू (*स्ट्रीक्स लेपटोगरा नेवारेंसिस*), हिमालयन जंगल नाइटजर (*कैपरीमुलगुस इंडिकस हैज़ारैक*), ब्रॉड-वील्ड रोलर (*इबरुस्टोमस ओरियालिस स्यानोलिस*), व्हाइट-ब्रेस्टेड किंगफिशर (*हैल्क्योन स्माइनेसिस स्मरेंसिस*), ब्लू नेप्ड पिट्टा (*पिट्टा निपालेंसिस*), ग्रीन ब्रेस्टेड पिट्टा (*पिट्टा सोरडिका कुकुलाटा*), रूफस शॉर्ट-टोड (*कालैंड्रेला सिनेरिया डुकुनेसिस*), सिक्किम लॉग-टेल्ड मिनिवेट (*पेरीक्रोकुटस इथोलौस लैटेटस*), स्कारलेट मिनिवेट (*पेरीक्रोकुटस फ्लेमियस*), ब्राउन बैक्ड पाइड फ्लाईकैचर श्रीक (*हेमिपस पिकाटस कैपिटलिस*), ब्लैक क्रस्टेड येलो बुलबुल (*पाइकोनस मेलान्टिकेरस फ्लेविवेंट्रिस*), ब्राउन डिपर (*सिनक्लस पेल्सी टेनुइरोस्ट्रिस*), रस्टी बेलिड शॉर्टविंग (*ब्रांचुएट्रीज हाइपरथायरस*), नेपाल शॉर्टविंग (*ब्रेचुपेरिक्स ल्यूकोफ्रीस नेपालेंसिस*), परपल थ्रश (*कोचोआ परपिरेया*), ग्रीन थ्रश (*कोचोआ विरिदिस*), असम रेड-फ्रंटेड बब्बलर (*स्टैचाइरिस रूफफ्रॉन एंबिगुआ*), रेड-हेडेड बब्बलर (*स्टैचाइरिस*

रूफिकेपस), रूफस बेलिड निल्लावा (*निलटावा सुंदरा*), पाले ब्लू फ्लाइकैचर (*नील्टावा यूनिकोलर*), ब्लू थ्रोटेड फ्लाईकैचर (*निल्टावा रुबेकुलोईडेस*), आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में रंगीन पंखों वाली प्रजातियों की बृहत् संख्या का भी वास है, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे फेयरी-ब्लूबर्ड और हिमालयन पाइड हार्नबिल शामिल हैं।महानंदा वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति और जीवजंतु जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न मानव जनित दबावों कीसीमा को नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ निकटवर्ती क्षेत्र पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हैं जो इस संरक्षित क्षेत्र पर काफी प्रभाव डालते हैं;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को महानंदा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर की दूरी तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 405.28 वर्ग किलोमीटर है।

(2) महानंदा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध- IIग** और **उपाबंध-IIघ** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

IndiaCode

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन;

(ii) कृषि;

(iii) राजस्व;

(iv) शहरी आवास विकास;

(v) पर्यटन;

(vi) ग्रामीण विकास;

(vii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(viii) नगरपालिका;

(ix) पंचायती राज;

(x) लोक निर्माण विभाग;

(xi) पश्चिमी बंगाल पुलिस;

(xii) ग्रामीण प्रबंधन और विकास; और

(xiii) आपदा प्रबंधन।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्नों प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना विधि और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

IndiaCode

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाईयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी। (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों,

IndiaCode

		पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे उड़ाना, आदि।	प्रतिषिद्ध।
10.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	प्रतिषिद्ध।
11.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
12.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की

IndiaCode

		अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
18.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
23.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

IndiaCode

24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन की सुविधा जैसे होम स्टे, रोपवे, कियोस्क, फनीक्यूल्स आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	वनस्पति की बाड़।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

IndiaCode

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पदानिधान
(i)	मुख्य सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य;
(iii)	पीसीसीएफ (प्रधान वन बल), पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य;
(iv)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	ग्रामीण प्रबंधन विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	कृषि विभाग के प्रतिनिधि, पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य;
(x)	शहरी विकास और आवास विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(xi)	संबद्ध जिला कलक्टर	सदस्य;
(xii)	प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी)	सदस्य;
(xiii)	अपर मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/36/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

पश्चिम बंगाल महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तरी दिशा में, रूयम और सेतीखोला, रूयेम और सीतोंग, ऊपरी घोरमारा और सीतोंग, लाटपंचर और माना वन खण्डों के मध्यसामान्य सीमा है।

कुर से ओंग प्रभाग के सेवो के श्रेणी की पूर्वी सीमा, कलिझोरा और तिस्ता के जंक्शन से तिस्ता नदी के साथ, दक्षिण में लालटोंग खण्ड के दक्षिणी कोण तक फैली हुई है।

महानदी खण्ड के साथ अपने जंक्शन तक सुकना और फंडिंग ब्लॉक की सीमांकित दक्षिणी सीमा, इसके बाद महानदी खण्ड की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा; इसके बाद 7 माइल फायर लाइन / सड़क के साथ लालटोंग खण्ड की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा तक जाती है।

मना झोरा के साथ लाटपंचर और बंदरझोरा वन खंड की पश्चिमी सीमा महानदी नदी के साथ अपने जंक्शन तक जाती है, इसके महानदी नदी के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में अपने जंक्शन तक पुन्डिंग वन खण्ड की उत्तरी सीमा तक जाती है और इसके बाद हिल कार्ट रोड के साथ अपने जंक्शन तक सुकना वन खण्ड की उत्तरी सीमा का सीमांकन और इसके बाद हिल कार्ट रोड के साथ सुकना खण्ड की दक्षिणी सीमा के साथ अपने जंक्शन तक पहुँचती हैं।

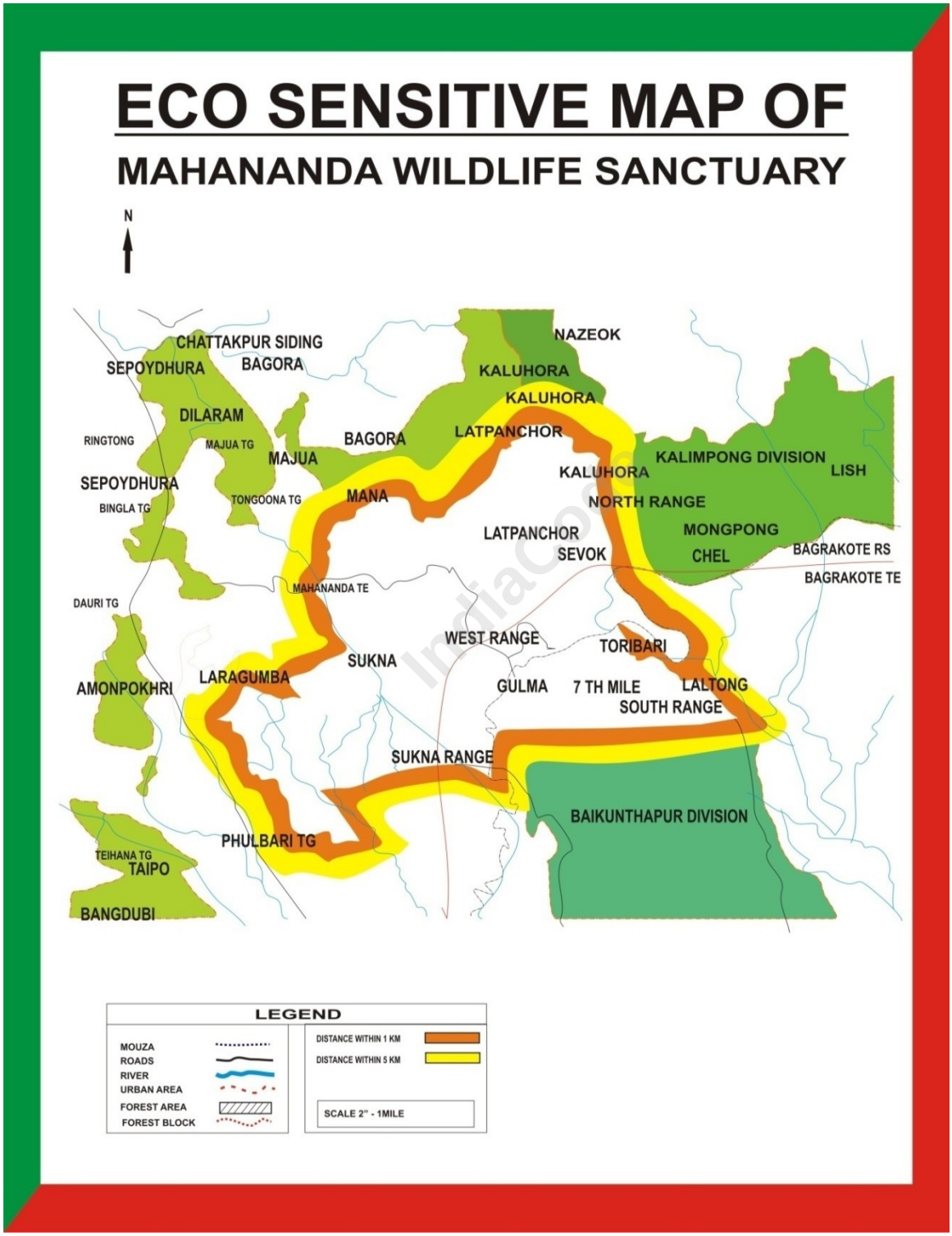
उपाबंध- IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



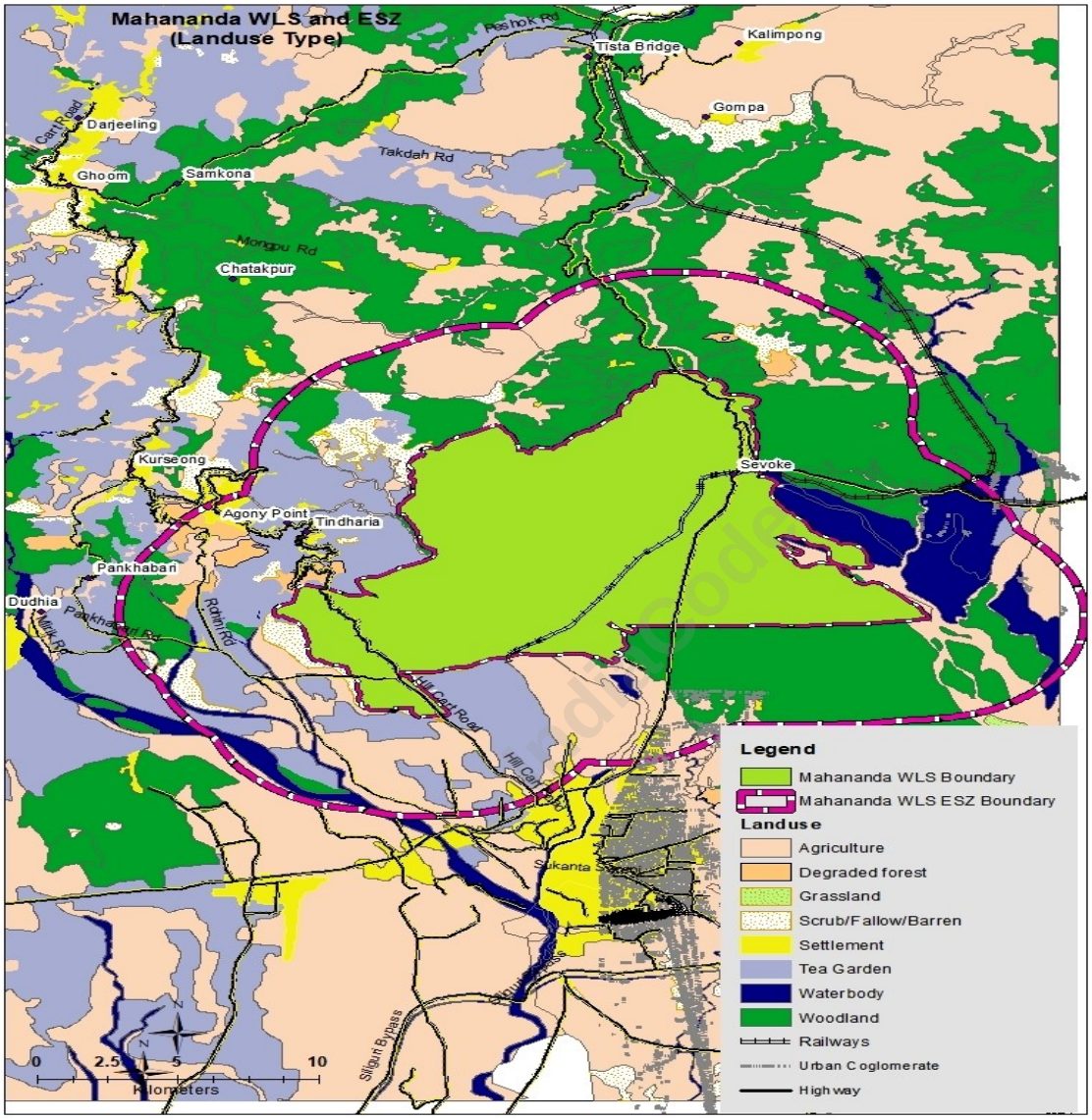
उपाबंध- IIख

पश्चिम बंगाल में महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



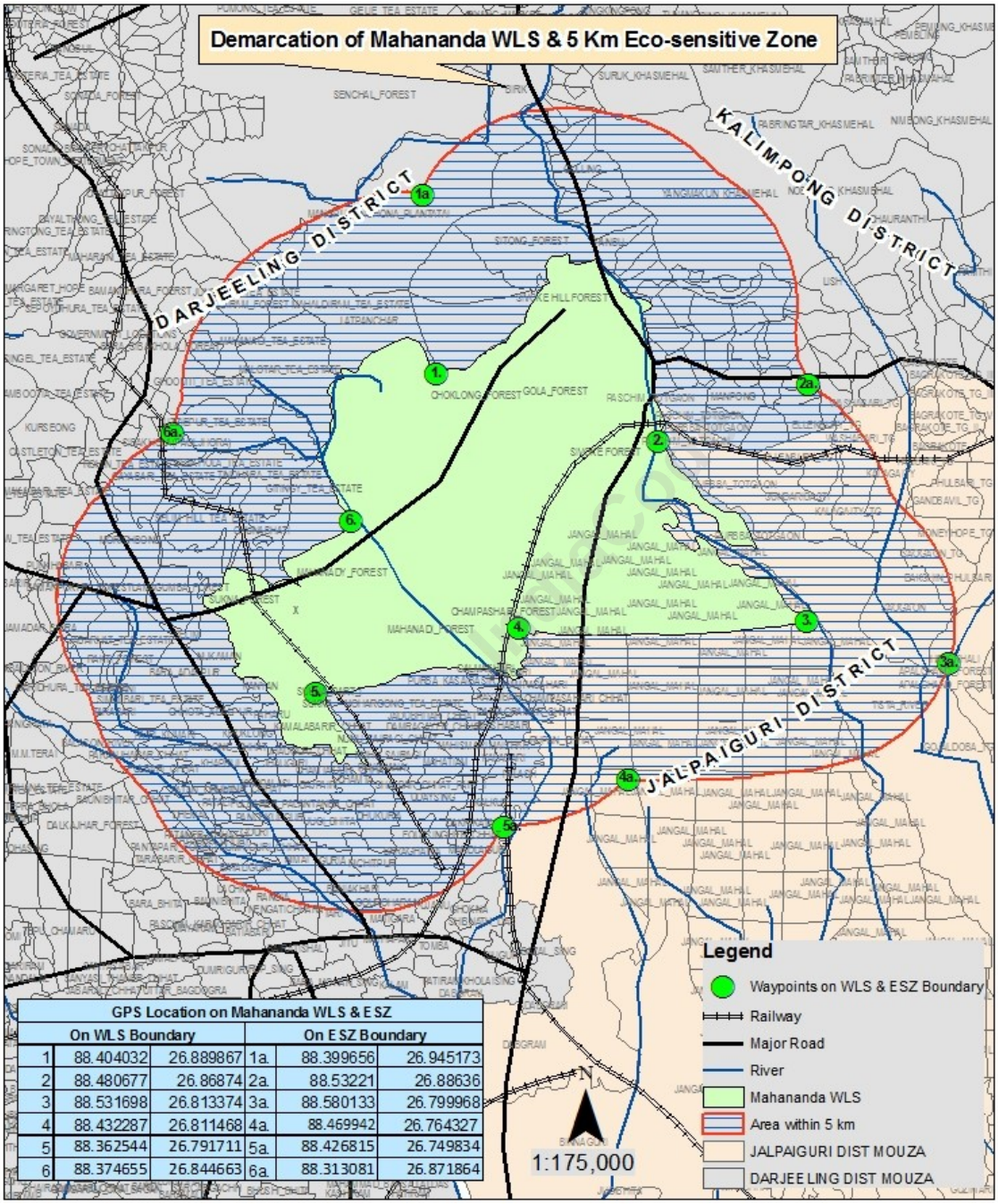
उपाबंध- IIग

महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध- IIघ

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



GPS Location on Mahananda WLS & ESZ					
On WLS Boundary			On ESZ Boundary		
1	88.404032	26.889867	1a.	88.399656	26.945173
2	88.480677	26.86874	2a.	88.53221	26.88636
3	88.531698	26.813374	3a.	88.580133	26.799968
4	88.432287	26.811468	4a.	88.469942	26.764327
5	88.362544	26.791711	5a.	88.426815	26.749834
6	88.374655	26.844663	6a.	88.313081	26.871864

उपाबंध-III

सारणी क: महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
1	88°40403	26°88987
2	88°48068	26°86874
3	88°5317	26°81337
4	88°43229	26°81147
5	88°36254	26°79171
6	88°37466	26°84466

IndiaCode

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
1क.	88°39966	26°945173
2क.	88°53221	26°88636
3क.	88°58013	26°799968
4क.	88°46994	26°764327
5क.	88°42682	26°749834
6क.	88°31308	26°871864

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम के नाम	भूमि वर्गीकरण	अक्षांश	देशांतर
1	चकुर	राजस्व ग्राम	उ26°46'26.42"	पू88°28'19.06"
2	प्रकाश नगर	राजस्व ग्राम	उ26°46'6.52"	पू88°26'52.48"
3	सरुगरा	राजस्व ग्राम	उ26°45'58.92"	पू88°26'47.56"
4	कालाबरी	राजस्व ग्राम	उ26°46'24.0"	पू88°25'19.0"
5	महीसमरी	राजस्व ग्राम	उ26°45"28.6"	पू88°25'04.5"
6	मलाहार	राजस्व ग्राम	उ 26°44'26.8"	पू88°24'57.3"
7	चमपासरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°44"26.8"	पू88°24'57.3"
8	नुगु बैरागी	राजस्व ग्राम	उ26°45'02.22"	पू88°23'00.4"
9	नुगु बैरागिर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'27.99"	पू88°23'48.98"
10	उत्तर पलाश	राजस्व ग्राम	उ26°46'32.0"	पू88°25'49.9"
11	दमरा गयेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'44.29"	पू88°23'33.54"
12	जदुभितार छट	राजस्व ग्राम	उ26°47'09.3"	पू88°24'36.0"
13	पुरबा करैबरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°47'01.7"	पू88°25'02.5"
14	गुलमाखरी	राजस्व ग्राम	उ26°48'04.4"	पू88°24'11.2"
15	कराईबरी	राजस्व ग्राम	उ26°47'13.3"	पू88°25'03.1"
16	दरियाग्राम छट	राजस्व ग्राम	उ26°47'7.64"	पू88°25'16.69"
17	सिस्साबरी	राजस्व ग्राम	उ26°47'08.2"	पू88°25'39.6"
18	पलाश	राजस्व ग्राम	उ26°46'32.0"	पू88°25"49.9"
19	बोरो अदलपुर	राजस्व ग्राम	उ26°46'37.19"	पू88°20'43.53"
20	खोकलोंग	राजस्व ग्राम	उ26°46'42.91"	पू88°21'11.17"
21	छोटो अदलपुर	राजस्व ग्राम	उ26°47'11.36"	पू88°19'15.26"
22	पहारु	राजस्व ग्राम	उ26°46'53.67"	पू88°20'54.73"
23	खोकलोंग छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'32.22"	पू88°21'13.07"
24	कमला बरिर छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'28.37"	पू88°20'40.44"
25	वार्ड 42	राजस्व ग्राम	उ26°45'31.83"	पू88°26'42.84"
26	निम्बु बस्ती	राजस्व ग्राम	उ26°45'15.59"	पू88°26'12.31"
27	देवीदंगा	राजस्व ग्राम	उ26°45'57.5"	पू88°25'07.2"
28	दकनीकाटा पी	राजस्व ग्राम	उ26°45'10.2"	पू88°25'01.9"
29	कलकुट पी	राजस्व ग्राम	उ26°45'41.38"	पू088°25'6.88"
30	चमपासरी	राजस्व ग्राम	उ26°44'26.8"	पू88°24'57.3"
31	वार्ड 46	राजस्व ग्राम	उ26°44'34.76"	पू88°24'47.65"

IndiaCode

32	सत्यजीत कॉलोनी	राजस्व ग्राम	उ26°44'23.14"	पू88°24'34.96"
33	फौटसिंघेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°44'57.11"	पू88°24'19.96"
34	उजनु पी	राजस्व ग्राम	उ26°43'53.6"	पू88°24'17.2"
35	कबी आदम सिंह नगर	राजस्व ग्राम	उ26°44'39.48"	पू88°23'47.94"
36	उत्तरायन टीडब्ल्यूपी	राजस्व ग्राम	उ26°43'21.61"	पू88°23'37.80"
37	दागापुर	राजस्व ग्राम	उ26°45'00.47"	पू88°23'35.48"
38	बारा घरिया	राजस्व ग्राम	उ26°44'50.3"	पू88°23'29.0"
39	गौर चरन	राजस्व ग्राम	उ26°43'57.3"	पू88°22'58.0"
40	घोकला जोटे	राजस्व ग्राम	उ26°44'22.0"	पू88°22'49.6"
41	फथारघाटा	राजस्व ग्राम	उ26°45'38.38"	पू88°22'20.21"
42	धकुरिया	राजस्व ग्राम	उ26°45'20.4"	पू88°22'31.8"
43	गतिगरा	राजस्व ग्राम	उ26°43'23.65"	पू88°23'04.92"
44	बनिया खरी	राजस्व ग्राम	उ26°43'39.1"	पू88°22'56.1"
45	पंचाकुलगुरी	राजस्व ग्राम	उ26°45'14.4"	पू88°20'42.7"
46	जुगीभिटा	राजस्व ग्राम	उ26°44'56.79"	पू88°21'54.76"
47	गुरिया	राजस्व ग्राम	उ26°44'07.9"	पू88°23'08.5"
48	बाटालिगुरी	राजस्व ग्राम	उ26°44'18.55"	पू88°20'5.90"
49	पटानेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'43.76"	पू88°19'30.23"
50	लालसारा छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'44.8"	पू88°20'16.2"
51	धेमल	राजस्व ग्राम	उ26°44'57.73"	पू88°19'32.31"
52	पाटन	राजस्व ग्राम	उ26°45'57.63"	पू88°19'19.59"
53	रुहिनिर छट	राजस्व ग्राम	उ26°47'22.83"	पू88°19'00.21"
54	खोपालासी	राजस्व ग्राम	उ26°45'34.7"	पू88°20'24.1"
55	झौगुरी	राजस्व ग्राम	उ26°45'58.65"	पू88°21'28.84"
56	झौगुरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'10.2"	पू88°21'02.3"
57	राजपियरी	राजस्व ग्राम	उ26°45'40.9"	पू88°21'13.7"
58	चमटागुरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'58.2"	पू88°22'15.8"
59	चमटा	राजस्व ग्राम	उ26°46'13.89"	पू88°21'27.59"
60	पनचानाई	राजस्व ग्राम	उ26°44'43.87"	पू88°3'54.84"
61	मोहुरगोंग टी जी	चायबागान	उ26°46'47.8"	पू88°22'19.1"
62	सलबरी छट (2)	राजस्व ग्राम	उ26°45'57.3"	पू88°23'00.4"
63	फुलबरी पटानेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'08.78"	पू88°19'20.45"
64	सितोंगवन	वन	उ26°54"55.7"	पू88°24'33.9"
65	सिवोकवन	वन	उ26°52"42.6"	पू88°28'14.4"
66	लटपंचर	वन	उ26°54"41.2"	पू88°24'19.7"
67	सेपोयधुरा	चाय बागान	उ26°50"27.0"	पू88°20'64.0"

IndiaCode

68	नोरबोंग	चाय बागान	उ26°51"15.45"	पू88°32'32.18"
69	सिमरिंग टी जी	चाय बागान	उ26°53'25.45"	पू88°21'37.29"
70	टिंधरिया टी.जी	चाय बागान	उ26°51'17.66"	पू88°20'44.85"
71	रोंटोंग	राजस्व ग्राम	उ26°50'10.51"	पू88°20'33.15"
72	बौनी भीतार छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'44.94"	पू88°18'44.60"
73	फुलबरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'21.06"	पू88°19'02.45"
74	खपरैल	राजस्व ग्राम	उ26°45'36.18"	पू88°20'14.51"
75	पाटन झनेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'05.24"	पू88°19'03.20"
76	पैरकुमारी	चाय बागान	उ26°46'31.30"	पू88°20'09.02"
77	सप्तागिरि खेलघर टी.जी	चाय बागान	उ26°44'14.10"	पू88°25'47.17"
78	सिमुलबरी टी. जी	चाय बागान	उ26°47'33.49"	पू88°18'33.67"
79	राकीवन	वन	उ26°47'48.61"	पू88°17'28.03"
80	बमोनपोखरीवन	वन	उ26°48'56.87"	पू88°16'48.75"
81	लामा गुम्बावन	वन	उ26°49'8.98"	पू88°18'42.11"
82	रोहिनी टी. जी	चाय बागान	उ26°50'22.23"	पू88°17'23.70"
83	सेलीम हील टी. जी	चाय बागान	उ26°50'23.53"	पू88°19'8.66"
84	लिज़ैपुर टी. जी	चाय बागान	उ26°52'20.47"	पू88°19'52.37"
85	गयाबरी टी. जी	चाय बागान	उ26°51'38.04"	पू88°19'34.90"
86	महल दिराम टी. जी	चाय बागान	उ26°54'49.82"	पू88°21'2.33"
87	तोरयाक खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'04.1"	पू 88°20'53.8"
88	सेलपु खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'09.0"	पू 88°23'55.3"
89	बरासित टोंग खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'10.8"	पू 88°22'59.5"
90	रोलक खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'59.0"	पू 88°24'14.5"
91	रोंगचोंग खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°58'2.24"	पू 88°25'4.18"
92	कनदुंगवनबस्ती	राजस्व ग्राम	उ26°56'31.12"	पू 88°25'52.0"
93	गुलिंगवन	राजस्व ग्राम	उ26°57"22.1"	पू 88°27'01.6"
94	यंग मुकुम खासमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56"08.4"	पू 88°29'14.5"
95	पश्चिम टोटगांव	राजस्व ग्राम	उ26°50'26.4"	पू 88°31'28.4"
96	पुरब टोटगांव	राजस्व ग्राम	उ26°50'30.9"	पू 88°31'31.7"
97	एलेनबुरी टी.जी	चाय बागान	उ26°51'33.2"	पू 88°32'08.5"
98	सुंदरी बस्ती	राजस्व ग्राम	उ26°51'17.9"	पू 88°31'34.6"
99	कलागैटी टी.जी.	चाय बागान	उ26°51"14.5"	पू 88°32'45.4"
100	सौगांव टी.जी	चाय बागान	उ26°51'05.0"	पू 88°35'13.9"
101	सौगांव	राजस्व ग्राम	उ26°49"42.9"	पू 88°33'52.8"

IndiaCode

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2020

S.O. 3237(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4442(E), dated the 10th December, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th December, 2019;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Mahananda Wildlife Sanctuary is situated in Darjeeling and Jalpaiguri districts of West Bengal which are characterised by forest and riverine ecosystem adjoin with tea gardens and villages with diverse ethnicities. The Sanctuary has an area of 161.17 square kilometres harbouring species of gaurs (*Bos gaurus*) and also acting as a corridor for sustaining population of wild elephants in North Bengal in between Teesta and Mechi River;

AND WHEREAS, Mahananda Wildlife Sanctuary is characterised by elephant migration route and variety of migratory elephant takes shelters and royal Bengal tiger was also reported from the Sanctuary during monsoons and winter seasons. The area is also famous for gaur, chital (spotted deer), barking deer, boar, pangolin, sambar, Rhesus monkey, Himalayan black bear, many species of lesser cat like fishing cat and jungle cat, Himalayan black bear, leopard including clouded leopard, and many other smaller animals like rare mountain goat (Serow), etc.;

AND WHEREAS, the important flora of the Mahananda Wildlife Sanctuary are *Acacia auriculiformis* (akashmoni), *Albizzia falcataria* (sirish), *Acrocarpus fraxinifolius (*mandane), *Adina cordifolia* (haldu), *Alianthus exelsa* (mahaneem), *Azadiracta indica (*neem), *Anthocephalus cadamba*

*(*kadam), *Artocarpus chaplasha* (chaplasa/Ban kathal), *Amoora rehituka* (lahasune), *Bischofia javanica (*kainjal/urium), *Bombax ceiba* (simul), *Betula cylindrostachya* (birch/aule saur), *Careya arborea (*kumbhi), *Delbergia latifolia* (setisal / satsayer), *Erythrina arborescens (*phaledo), *Elaeocarpus sphaericus* (rudrakha), *Sesbania grandflora* (bak phul), *Shorea robusta* (sal, sakhua), *Swietenia febrifuga (*cloroti), *Tetradium fraxinifolium (*khanakpa), *Toona ciliata* (tuni/tun), *Talaume hodgsomi* (bhalu kath), *Ulmus lancifolia* (pipli – aule), *Vabernun erubescens* (asharay), *Walsura tabulata* (falamay), *Xylia dolabriformis* (lohakat), *Zizyphus mauritiana* (kul), etc.;

AND WHEREAS, the major fauna of the Mahananda Wildlife Sanctuary includes mammals such as Sikkim large-clawed shrew (*Soriculus nigrescens* Gray), Hodgson's brown-toothed shrew (*Episoriculus caudatus* Horsefield), Indian long-tailed shrew (*Soriculus leucops* Horsefield), Himalayan water shrew (*Chimmarogale platycephala himalayica* Grey), fulvour fruit bat (*Rousettus leschenaultii),* demares flying fox (*Pteropus giganteus*), Dobson's tube nosed bat (*Murina cyclotis,* Dobson), Himalayan hairy-winged bat (*Hariooeephalus harpia lasyuras,* Hodgson), Assamese macaque (*Maeaea assamensis pelops,* Hodgson), Rhesus monkey (*Macaea mulata),* small Indian civet (*Viverricula indica),* toddy cat *(Paradosurus hermaphrodites),* barking deer (*Muntiacus muntjak,* Boddaert), tiger (*Panthera tigris),* leopard (*Panthera pardus),* gaur (*Ribos frontatis gaurus),* Himalayan black bear (*Selenarctos thibetanus*), common otter (*Lutra lutra),* Elephant (*Elephas indicus),* spotted deer (*Axis axis,* Erleben), sambar (*Rusa unicolor),* serow (*Copricornis sumatraensis* Hodgson), pig (*Sus scrofa,* Linnaeus), pangolin (*Manis pentadactyla,* Linnaeus), Indian or black naped hare (*Lepus nigricollis ruficaudatus,* Geoffroy), lesser giant flying squirrel (*Petaurista elegans,* Gray), etc.;

AND WHEREAS, the bird species recorded from the Sanctuary are black-arrested baza (*Avideda leuphotes syama),* wastern coashawk (*Accipiter badius scheedowl),* besta sparrow hawk (*Accipiter virgatus affinis),* Himalayan hawk-eagle (*Spisetus nipalensis nipalensis),* block or king vulture (*Torgos calvus),* Himalayan falconet (*Microhierax caerulescens),* Himalayan kestrel (*Falco tinnunculus interstinctus),* blossom-headed parakeet (*Psittacula cyanocephala bengalensis),* Hodgson's hawk-cuckoo (*Cuculus fagax nisicolor),* Himalayan cuckoo (*Cuculus saturatus saturates),* tawny fish owl (*Bubo flavipe),* collard pigmy owlet (*Glaucidium brodiei brodiei),* Himalayan brred owlet (*Glaucidium cuculoides),* Himalayan brown wood owl (*Strix newarensis),* Himalayan jungle nightjar (*Caprimulgus indicus),* broad-villed roller (*Ebrustomus orientalis cyanicollis),* white-breasted kingfisher (*Halcyon smyrnensis),* blue naped pitta (*Pitta nipalensis),* green breasted pitta (*Pitta sordica cuculata),* rufous short-toed (*Calandrella cinerea dukhunesis),* Sikkim long-tailed minivet (*Pericrocotus etholoous latetus),* scarlet minivet (*Pericrocuttus flammeus),* brown backed pied flycatcher shrike (*Hemipus picatus capitalis),* black crested yellow bulbul (*Pycnotus melancicterus flaviventris),* brown dipper (*Cinclus pallasii tenuirostris),* rusty bellied shortwing (*Branchueteryz hyperythrea),* Nepal shortwing (*Brechupteryx leucophrys nipalensis),* purple thrush (*Cochoa purpirea),* green thrush (*Cochoa viridis),* Assam red-fronted babbler (*Stachyridopsis rufifrons ambigua),* red-headed babbler (*Stachyris ruficeps),* rufous bellied nillava (*Niltava sundara),* pale blue flycatcher (*Niltava unicolor),* blue throated flycatcher (*Niltava rubeculoides*), etc.;

AND WHEREAS, the Mahananda Wildlife Sanctuary is also a home for a large number of colourful feathered species including endangered species like fairy-bluebird and Himalayan pied hornbill. For effective conservation and protection of the floral and faunal biodiversity of Mahananda Wildlife Sanctuary, the extent of different anthropogenic pressures has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is much ecologically sensitive having great impact on this protected area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mahananda Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 5 kilometres uniform around the boundary of Mahananda Wildlife Sanctuary, in Darjeeling and Jalpaiguri districts in the State of West Bengal as the Mahananda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 5 kilometres uniform around the boundary of Mahananda Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 405.28 square kilometres.

(2) The boundary description of Mahananda Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Mahananda Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB**, **Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Mahananda Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment and Wildlife Management;

(ii) Agriculture;

(iii) Revenue;

(iv) Urban Housing Development;

(v) Tourism;

(vi) Rural Development;

(vii) Irrigation and Flood Control;

(viii) Municipal;

(ix) Panchayati Raj;

(x) Public Works Department;

(xi) West Bengal Police;

(xii) Rural Management and Development; and

(xiii) Disaster Management.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks

and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India

in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction

		or repair of houses within Eco Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, so otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited.
10.	Introduction of exotic species.	Prohibited.
11.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the

IndiaCode

		Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
18.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations, and available guidelines.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

	companies.	
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
41.	Vegetative fencing.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Chief Secretary, Government of West Bengal	Chairman, ex officio;
(ii)	Chief Wildlife Warden, Government of West Bengal	Member;
(iii)	Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force),	Member;

	Government of West Bengal	
(iv)	Representative of State Pollution Control Board	Member;
(v)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vi)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(viii)	Representative of Rural Management Department, Government of West Bengal	Member;
(ix)	Representative of Agriculture Department, Government of West Bengal	Member;
(x)	Representative of Urban Development and Housing Department, government of West Bengal	Member;
(xi)	Concerned District Collector	Member;
(xii)	Divisional Forest Officer (In-charge of protected area)	Member;
(xiii)	Additional Chief Conservator of Forest, Wildlife	Member-Secretary.

IndiaCode

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/36/16-ESZ-RE]

DR SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY WEST BENGAL

In the northern side, there is common boundary between Ruyem and Setikhola, Ruyem and Sittong, Upper Ghoramara and Sittong, Latpancher and Mana forest blocks.

The eastern boundary of Sevoke Range of Kurseong division, along the Tista River from the junction of Kalijhora and Tista, southwards extending upto the southern corner of Laltong block.

The demarcated southern boundary of Sukna and Funding blocks up to its junction with Mahanadi block, then following the western & southern boundaries of Mahanadi block; then along the western and southern boundary of Laltong Block along 7th Mile Fire line / Road.

The western boundary of Latpancher and Bandarjhora forest block along the Mana jhora upto its junction with the Mahanadi river, then along the Mahanadi river in a south easterly direction upto its junction with the northern boundary of Punding forest block and then along the demarcated northern boundary of Sukna forest block upto its junction with Hill Cart Road and then along the Hill Cart Road upto its junction with southern boundary of Sukna block.

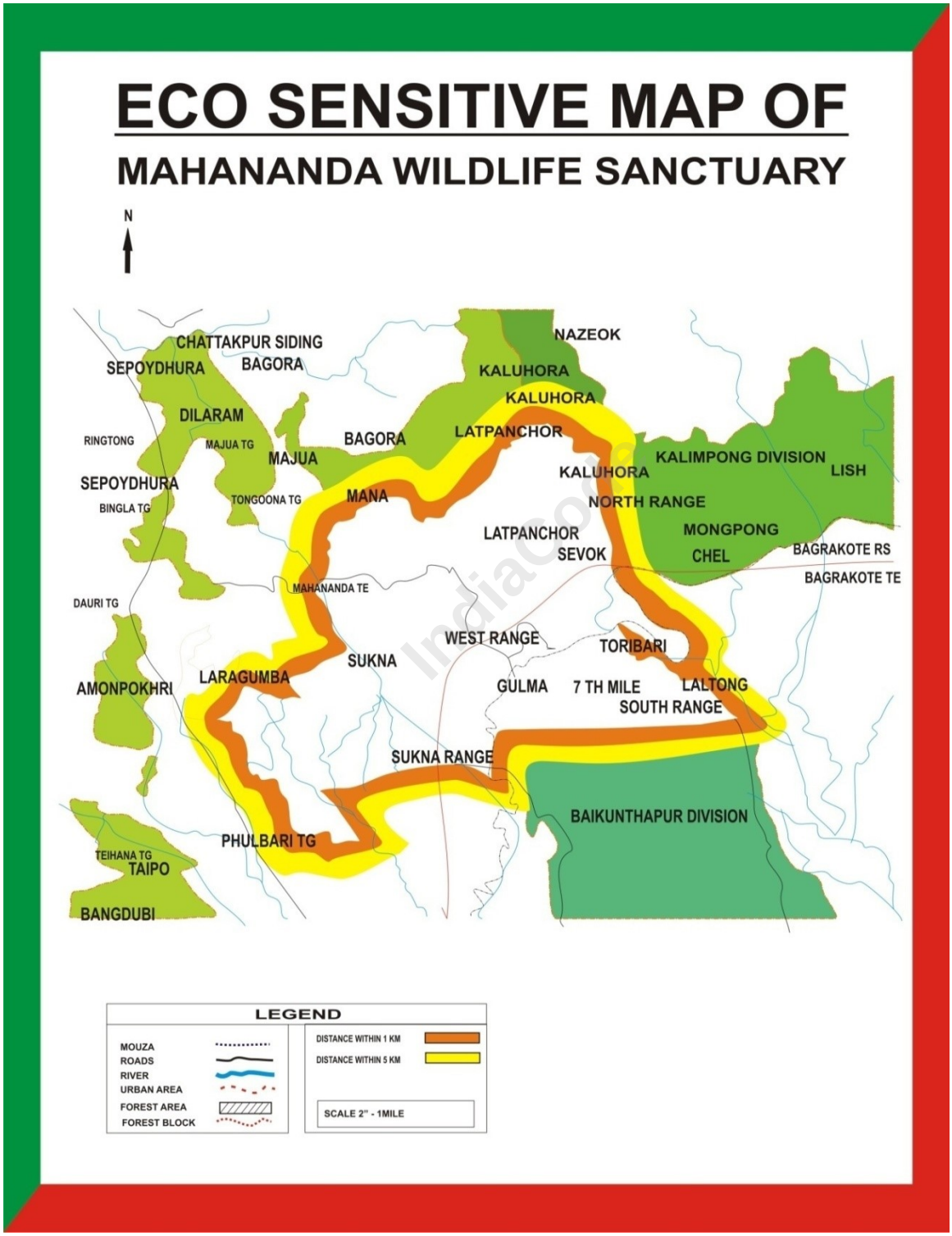
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



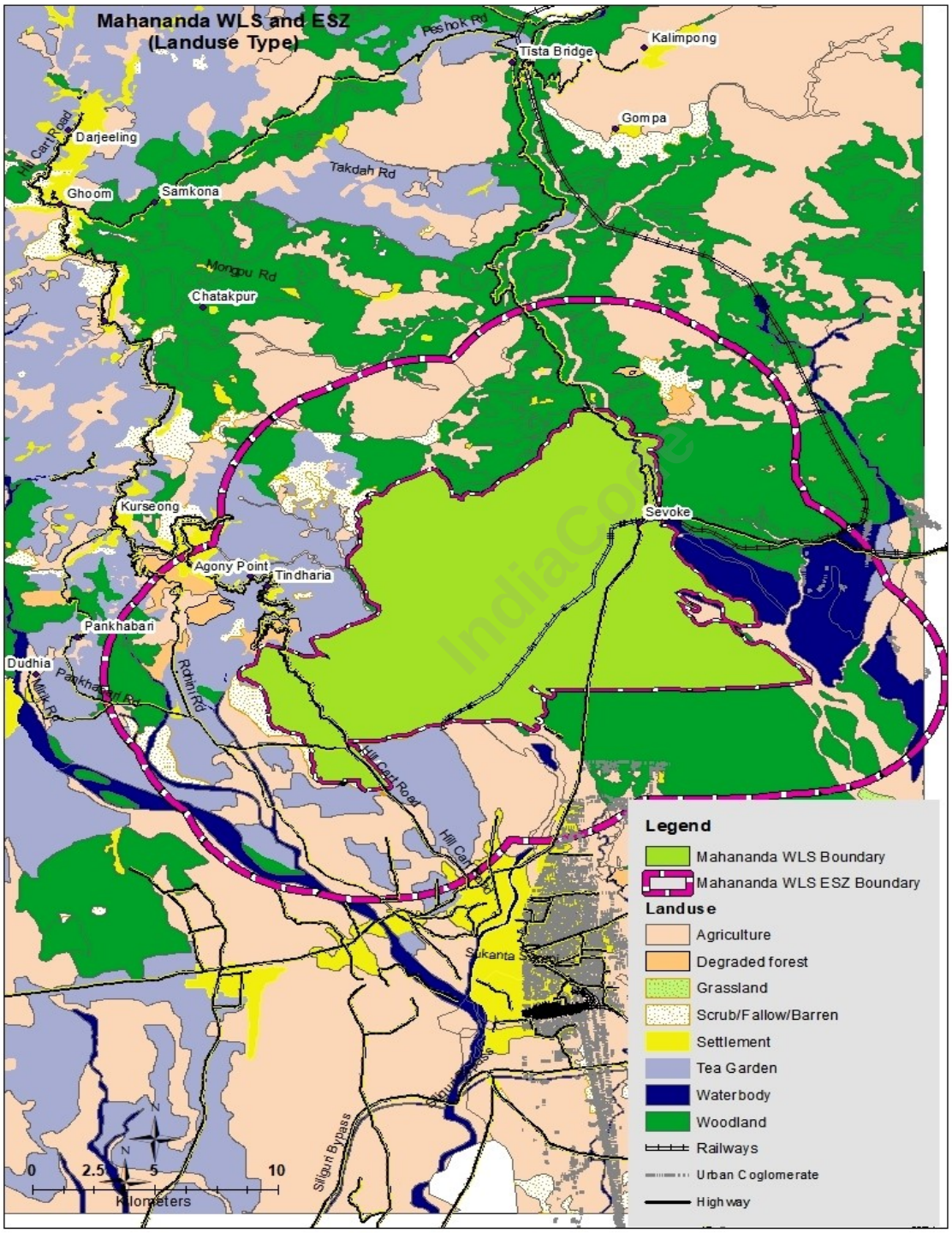
ANNEXURE- IIB

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY IN WEST BENGAL



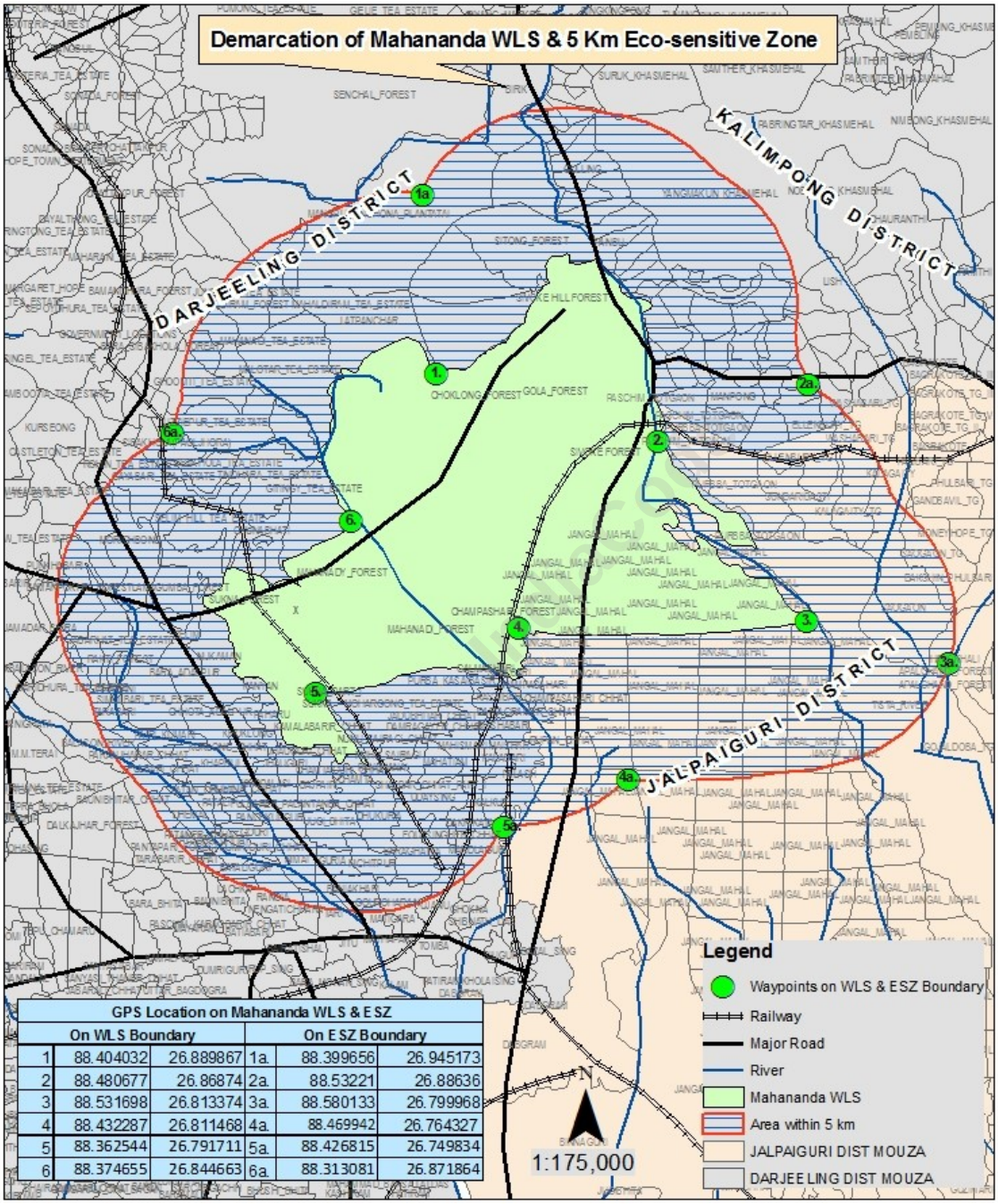
ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



GPS Location on Mahananda WLS & ESZ					
On WLS Boundary			On ESZ Boundary		
1	88.404032	26.889867	1a.	88.399656	26.945173
2	88.480677	26.86874	2a.	88.53221	26.88636
3	88.531698	26.813374	3a.	88.580133	26.799968
4	88.432287	26.811468	4a.	88.469942	26.764327
5	88.362544	26.791711	5a.	88.426815	26.749834
6	88.374655	26.844663	6a.	88.313081	26.871864

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Longitude (E)	Latitude (N)
1	88º40403	26º88987
2	88º48068	26º86874
3	88º5317	26º81337
4	88º43229	26º81147
5	88º36254	26º79171
6	88º37466	26º84466

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Longitude (E)	Latitude (N)
1a.	88º39966	26º945173
2a.	88º53221	26º88636
3a.	88º58013	26º799968
4a.	88º46994	26º764327
5a.	88º42682	26º749834
6a.	88º31308	26º871864

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of the Village	Land classification	Latitude	Longitude
1	Chakur	Revenue Village	N 26°46'26.42"	E88°28'19.06"
2	Prakash Nagar	Revenue Village	N26°46'6.52"	E88°26'52.48"
3	Sarugara	Revenue Village	N26°45'58.92"	E88°26'47.56"
4	Kalabari	Revenue Village	N26°46'24.0"	E88°25'19.0"
5	Mahismari	Revenue Village	N26°45"28.6"	E88°25'04.5"
6	Malahar	Revenue Village	N 26°44'26.8"	E88°24'57.3"
7	Champasari Chhat	Revenue Village	N26°44"26.8"	E88°24'57.3"
8	Nunu Bairagi	Revenue Village	N26°45'02.22"	E88°23'00.4"
9	Nunu Bairagir Chhat	Revenue Village	N26°45'27.99"	E88°23'48.98"
10	Uttar Palash	Revenue Village	N26°46'32.0"	E88°25'49.9"
11	Damra Gayer Chhat	Revenue Village	N26°45'44.29"	E88°23'33.54"
12	Jadubhitar Chhat	Revenue Village	N26°47'09.3"	E88°24'36.0"

13	Purba Karaibari Chhat	Revenue Village	N26°47'01.7"	E88°25'02.5"
14	Gulmakhari	Revenue Village	N26°48'04.4"	E88°24'11.2"
15	Karaibari	Revenue Village	N26°47'13.3"	E88°25'03.1"
16	Dariagram Chhat	Revenue Village	N26°47'7.64"	E88°25'16.69"
17	Sissabari	Revenue Village	N26°47'08.2"	E88°25'39.6"
18	Palash	Revenue Village	N26°46'32.0"	E88°25"49.9"
19	Boro Adalpur	Revenue Village	N26°46'37.19"	E88°20'43.53"
20	Khoklong	Revenue Village	N26°46'42.91"	E88°21'11.17"
21	Chhoto Adalpur	Revenue Village	N26°47'11.36"	E88°19'15.26"
22	Paharu	Revenue Village	N26°46'53.67"	E88°20'54.73"
23	Khoklong Chhat	Revenue Village	N26°46'32.22"	E88°21'13.07"
24	Kamala Barir Chhat	Revenue Village	N26°46'28.37"	E88°20'40.44"
25	Word 42	Revenue Village	N26°45'31.83"	E88°26'42.84"
26	Nimbu Basti	Revenue Village	N26°45'15.59"	E88°26'12.31"
27	Devidanga	Revenue Village	N26°45'57.5"	E88°25'07.2"
28	Daknikata P	Revenue Village	N26°45'10.2"	E88°25'01.9"
29	Kalkut P	Revenue Village	N 26°45'41.38"	E088°25'6.88"
30	Champasari	Revenue Village	N26°44'26.8"	E88°24'57.3"
31	Ward 46	Revenue Village	N26°44'34.76"	E88°24'47.65"
32	Satyajit Colony	Revenue Village	N 26°44'23.14"	E88°24'34.96"
33	Foutsingher Chhat	Revenue Village	N26°44'57.11"	E88°24'19.96"
34	Ujanu P	Revenue Village	N26°43'53.6"	E88°24'17.2"
35	Kabi Adam Singh Nagar	Revenue Village	N26°44'39.48"	E88°23'47.94"
36	Uttarayan TWP	Revenue Village	N26°43'21.61"	E88°23'37.80"
37	Dagapur	Revenue Village	N26°45'00.47"	E88°23'35.48"
38	Bara Gharia	Revenue Village	N26°44'50.3"	E88°23'29.0"
39	Gaur Charan	Revenue Village	N26°43'57.3"	E88°22'58.0"
40	Ghokla Jote	Revenue Village	N26°44'22.0"	E88°22'49.6"
41	Patharghata	Revenue Village	N26°45'38.38"	E88°22'20.21"
42	Dhakuria	Revenue Village	N26°45'20.4"	E88°22'31.8"
43	Gatigara	Revenue Village	N26°43'23.65"	E88°23'04.92"
44	Bania Khari	Revenue Village	N26°43'39.1"	E88°22'56.1"
45	Panchakulguri	Revenue Village	N26°45'14.4"	E88°20'42.7"
46	Jugibhita	Revenue Village	N26°44'56.79"	E88°21'54.76"
47	Guria	Revenue Village	N26°44'07.9"	E88°23'08.5"
48	Bataliguri	Revenue Village	N26°44'18.55"	E88°20'5.90"
49	Pataner Chhat	Revenue Village	N26°45'43.76"	E88°19'30.23"

IndiaCode

50	Lalsara Chhat	Revenue Village	N26°46'44.8"	E88°20'16.2"
51	Dhemal	Revenue Village	N26°44'57.73"	E88°19'32.31"
52	Patan	Revenue Village	N26°45'57.63"	E88°19'19.59"
53	Ruhinir Chhat	Revenue Village	N26°47'22.83"	E88°19'00.21"
54	Khopalasi	Revenue Village	N26°45'34.7"	E88°20'24.1"
55	Jhouguri	Revenue Village	N26°45'58.65"	E88°21'28.84"
56	Jhauguri Chhat	Revenue Village	N26°46'10.2"	E88°21'02.3"
57	Rajpiari	Revenue Village	N26°45'40.9"	E88°21'13.7"
58	Chamtaguri Chhat	Revenue Village	N26°45'58.2"	E88°22'15.8"
59	Chamta	Revenue Village	N26°46'13.89"	E88°21'27.59"
60	Panchanai	Revenue Village	N26°44'43.87"	E88°3'54.84"
61	Mohurgong TG	Tea Garden	N26°46'47.8"	E88°22'19.1"
62	Salbari Chhat(2nd)	Revenue Village	N26°45'57.3"	E88°23'00.4"
63	Fulbari Pataner Chhat	Revenue Village	N26°46'08.78"	E88°19'20.45"
64	Sitong Forest	Forest	N26°54"55.7"	E88°24'33.9"
65	Sivoke Forest	Forest	N26°52"42.6"	E88°28'14.4"
66	Latpanchar	Forest	N26°54"41.2"	E88°24'19.7"
67	Sepoydhura	Tea Garden	N26°50"27.0"	E88°20'64.0"
68	Norbong	Tea Garden	N26°51"15.45"	E88°32'32.18"
69	Simring TG	Tea Garden	N26°53'25.45"	E88°21'37.29"
70	Tindharia T.G	Tea Garden	N26°51'17.66"	E88°20'44.85"
71	Rhontong	Revenue Village	N26°50'10.51"	E88°20'33.15"
72	Bauni Bhitar Chhat	Revenue Village	N26°45'44.94"	E88°18'44.60"
73	Fulbari Chhat	Revenue Village	N26°45'21.06"	E88°19'02.45"
74	Khaprail	Revenue Village	N26°45'36.18"	E88°20'14.51"
75	Patan Jhaner Chhat	Revenue Village	N26°45'05.24"	E88°19'03.20"
76	Pairkumari	Tea garden	N26°46'31.30"	E88°20'09.02"
77	Saptagiri Khelaghar T.G	Tea garden	N26°44'14.10"	E88°25'47.17"
78	Simulbari T.G	Tea garden	N26°47'33.49"	E88°18'33.67"
79	Raki Forest	Forest	N26°47'48.61"	E88°17'28.03"
80	Bamonpokhri Forest	Forest	N 26°48'56.87"	E88°16'48.75"
81	Lama Gumba Forest	Forest	N26°49'8.98"	E88°18'42.11"
82	Rohini T.G	Tea Garden	N26°50'22.23"	E88°17'23.70"
83	Selim hill T.G	Tea Garden	N26°50'23.53"	E88°19'8.66"
84	Lizziepur T.G	Tea Garden	N26°52'20.47"	E88°19'52.37"
85	Gayabari T.G	Tea Garden	N26°51'38.04"	E88°19'34.90"
86	Mahal Diram T.G	Tea Garden	N26°54'49.82"	E88°21'2.33"

IndiaCode

87	Toryak Khasmahal	Revenue Village	N26°56'04.1"	E88°20'53.8"
88	Selpu Khasmahal	Revenue Village	N26°56'09.0"	E88°23'55.3"
89	Barasit Tong Khasmahal	Revenue Village	N26°56'10.8"	E88°22'59.5"
90	Rolak Khasmahal	Revenue Village	N26°56'59.0"	E88°24'14.5"
91	Rongchong Khasmahal	Revenue Village	N26°58'2.24"	E88°25'4.18"
92	Kandung Forest Basti	Revenue Village	N26°56'31.12"	E88°25'52.0"
93	Gulling Forest	Revenue Village	N26°57"22.1"	E88°27'01.6"
94	Yang Mukum Khasmohal	Revenue Village	N26°56"08.4"	E88°29'14.5"
95	Paschim Totgaon	Revenue Village	N26°50'26.4"	E88°31'28.4"
96	Purba Totgaon	Revenue Village	N26°50'30.9"	E88°31'31.7"
97	Ellenburry T.G	Tea garden	N26°51'33.2"	E88°32'08.5"
98	Sunderi Basti	Revenue Village	N26°51'17.9"	E88°31'34.6"
99	Kalagaity T.G.	Tea Garden	N26°51"14.5"	E88°32'45.4"
100	Saogaon T.G	Tea Garden	N26°51'05.0"	E88°35'13.9"
101	Saogaon	Revenue Village	N26°49"42.9"	E88°33'52.8"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan includingTourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.23 18:17:38 +05'30'